रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 15—सितम्बर 21, 2018 (भाद्र 24, 1940)

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 15—SEPTEMBER 21, 2018 (BHADRA 24, 1940)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	595
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	679
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	15
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1985
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	9687
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	2089
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	1867
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	595
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	679
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	15
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1985
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	9687
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2089
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1867
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

[भाग I—खण्ड 1]

[PARTI—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

(आई सी आर प्रभाग)

नई दिल्ली,17 अगस्त, 2018

सं.एफ. 10/7/2018-यू.3(ए).--जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 06.05.2002 की अधिसूचना सं. 9-12/2001-यू.3 द्वारा सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पुणे,"समविश्वविद्यालय संस्था" घोषित किया था, जिसमें निम्नलिखित तीन संस्थान शामिल हैं:-

i) सिंबायोसिस समिति विधि कालेज;

(ii) सिंबायोसिस व्यवसाय प्रबंधन संस्थान; और

(iii) सिंबायोसिस कंप्यूटर अध्ययन और अनुसंधान संस्थान।

3. **और इसके अतिरिक्त जबकि,** मंत्रालय ने अपनी दिनांक 10.11.2006 की अपनी अधिसूचना सं.एफ.9-12/2006-यू.3(ए) के जरिए निम्नलिखित दस संस्थाओं को सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पुणे के दायरे में शामिल करने की अनुमति दी थी:

i. सिंबायोसिस प्रबंधन और मानव संसाधन विकास केन्द्र

ii. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय संस्थान

iii. सिंबायोसिस दूरसंचार प्रबंधन संस्थान

iv. सिंबायोसिस प्रबंधन अध्ययन संस्थान

v. सिंबायोसिस जनसंचार संस्थान

vi. सिंबायोसिस प्रचालन प्रबंधन संस्थान

vii. सिंबायोसिस सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र

viii. सिंबायोसिस जिओ इनफॉर्मेटिक्स संस्थान

ix. सिंबायोसिस स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान

x. सिंबायोसिस डिजाइन संस्थान

4. **और जबकि,** मंत्रालय ने दिनांक 17.04.2008 की अधिसूचना सं. 10-6/2007-यू3(ए) द्वारा सम विश्वविद्यालय को बंगलौर में ऑफ कैम्पस केन्द्र प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की है। सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र का नाम बदलकर सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और तत्पश्चात सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय कर दिया गया है।

5. **और जबकि**, यूजीसी (ग्रेडिड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए (विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण (केवल)) विनियम, 2018, की अधिसूचना के बाद, सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय (समविश्वविद्यालय), पुणे, महाराष्ट्र, जिसे वर्ग-1 में रखा गया है, ने नोएडा, उत्तर प्रदेश में ऑफ कैम्पस केंद्र प्रारंभ करने के लिए दिनांक 28.07.2018 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे जांच और सलाह के लिए यूजीसी को अग्रेषित कर दिया गया था।

6. और जबकि, अध्यक्ष, यूजीसी ने आवेदन की जांच के लिए एक समिति गठित की थी, जिसने, विधिवत विचार-विमर्श के बाद यह सिफारिश की कि सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय (समविश्वविद्यालय), पुणे, एनएएसी प्रत्यायन की शैक्षिक विश्वसनीयता, यूजीसी ग्रेडिड स्वायत्ता में वर्ग-I, पिछली यूजीसी विशेषज्ञ समिति के दौरे, न्यायिक मामले को वापस लेने के लिए संस्थान द्वारा दिए गए आश्वासन को देखते हुए और इस तथ्य के दृष्टिगत की संस्थान ने आवश्यक अवसंरचना का निर्माण किया है और नोएडा (उत्तर प्रदेश) में संकाय नियुक्त किए हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले से अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार नोएडा में ऑफ कैम्पस के अनुमोदन पर विचार कर सकता है।

7. और जबकि, यूजीसी ने सिफारिश की है कि, विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए, पहले ही उत्तीर्ण विद्यार्थियों और कैम्पस में वर्तमान नामांकित विद्यार्थियों को मान्यता दी जाए।

8. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, यूजीसी की सलाह पर, एतद्वारा इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से नोएडा, उत्तर प्रदेश में ऑफ कैम्पस केन्द्र प्रारंभ करने के लिए सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय (समविश्वविद्यालय), पुणे, महाराष्ट्र को अनुमति प्रदान करती है और पहले ही उत्तीर्ण विद्यार्थियों और कैम्पस में वर्तमान में नामांकित विद्यार्थियों की डिग्री को विधिवत रूप से वैध मानती है। इसके अतिरिक्त यह घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:

i. यूजीसी द्वारा यूजीसी (समविश्वविद्यालय) विनियम, 2016 में निर्धारित किया गया है,पहले 6 वर्षों तक 2 वर्ष में एक बार और तत्पश्चात 5 वर्षों के बाद नोएडा कैम्पस की समीक्षा की जाएगी।

ii. मंत्रालय की पहले की अधिसूचनाओं में निर्धारित सभी शर्तें लागू रहेंगी और संस्थान द्वारा इनका अनुपालन किया जाएगा।

iii. नोएडा, उत्तर प्रदेश के ऑफ कैम्पस की सभी चल और अचल परिसंपत्तियों/संपत्तियों के साथ-साथ प्रबंधन कानूनी रूप से सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र में निहित होगा और उच्चतर शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों के भविष्य के हित में पंजीकृत होगा।

iv. यूजीसी की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय/या इसके ऑफ कैम्पस केन्द्र की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्वों का विचलन नहीं किया जाएगा।

v. नोएडा, उत्तर प्रदेश के ऑफ कैम्पस केन्द्र के साथ-साथ सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र व्यावसायिक और लाभ कमाने की प्रकृति के किसी भी कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा।

vi. नोएडा, उत्तर प्रदेश के ऑफ कैम्पस केन्द्र में प्रदान किए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।

vii. नोएडा, उत्तर प्रदेश का ऑफ कैम्पस केन्द्र, विषय पर, समय-समय पर यूजीसी द्वारा जारी मानकों के अनुसार ही नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगा।

viii. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र अपने ऑफ कैम्पस केन्द्रों के साथ-साथ सभी संघटक इकाइयों में डॉक्टरल और नवाचारी शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ-साथ अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए उचित कदम उठाएगा।

ix. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एनएएसी/एनबीए द्वारा इसके ऑफ कैम्पस केन्द्र के लिए इसके सभी पात्र शैक्षिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के वैध प्रत्यायन के लिए इन्हें प्रत्यायित कराने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

x. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र और इसके ऑफ-कैम्पस केन्द्र विद्यार्थियों के दाखिले, विद्यार्थियों की दाखिला क्षमता, शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन का अद्यतन, विद्यार्थियों की दाखिला क्षमता का संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को प्रारंभ करना, आदि के मामले में यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक परिषदों के निर्धारित सभी मानकों और प्रक्रियाओं को निरंतर रूप से लागू करेगा और इसका अनुपालन करेगा।

xi. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र, जब कभी आवश्यक हो, यूजीसी के अनुमोदन से समझौता ज्ञापन/नियमों को अद्यतन या संशोधित करेगा।

xii. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र के समझौता ज्ञापन/नियम, विनियम, उपनियम में केन्द्र सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सभी संघटक केन्द्रों और ऑफ-कैम्पस केन्द्रों के नामों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

xiii. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के अनुसार यूजीसी के निर्देशों का पालन करेगा।

xiv. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्रऔर इसके ऑफ-कैम्पस केन्द्र यूजीसी के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क ढ़ांचे का अनुपालन करेगा।

गिरीश सी. होसूर
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

सं.एफ. 10/8/2018-यू.3(ए).--जबकि,केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 06.05.2002 की अधिसूचना सं. 9-12/2001-यू.3 द्वारा सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पुणे, "समविश्वविद्यालय संस्था" घोषित किया था, जिसमें निम्नलिखित तीन संस्थान शामिल हैं:-

i) सिंबायोसिस समिति विधि कालेज;
(ii) सिंबायोसिस व्यवसाय प्रबंधन संस्थान; और
(iii) सिंबायोसिस कंप्यूटर अध्ययन और अनुसंधान संस्थान।

3. **और इसके अतिरिक्त जबकि,** मंत्रालयने अपनीदिनांक 10.11.2006 की अपनी अधिसूचना सं.एफ.9-12/2006-यू.3(ए) के जरिए निम्नलिखित दस संस्थाओं को सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पुणे के दायरे में शामिल करने की अनुमति दी थी:

i. सिंबायोसिस प्रबंधन और मानव संसाधन विकास केन्द्र
ii. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय संस्थान
iii. सिंबायोसिस दूरसंचार प्रबंधन संस्थान
iv. सिंबायोसिस प्रबंधन अध्ययन संस्थान
v. सिंबायोसिस जनसंचार संस्थान
vi. सिंबायोसिस प्रचालन प्रबंधन संस्थान
vii. सिंबायोसिस सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र
viii. सिंबायोसिस जिओ इनफॉर्मेटिक्स संस्थान
ix. सिंबायोसिस स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान
x. सिंबायोसिस डिजाइन संस्थान

4. **और जबकि,** मंत्रालय ने दिनांक 17.04.2008 की अधिसूचना सं. 10-6/2007-यू3(ए) द्वारा सम विश्वविद्यालय को बंगलौर में ऑफ कैम्पस केन्द्र प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की है। सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र का नाम बदलकर सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और तत्पश्चात सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय कर दिया गया है।

5. **और जबकि**, यूजीसी [ग्रेडिड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए (विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण (केवल)] विनियम, 2018, की अधिसूचना के बाद, सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय (समविश्वविद्यालय), पुणे, महाराष्ट्र, जिसे वर्ग-1 में रखा गया है, ने हैदराबाद, तेलंगाना में ऑफ कैम्पस केंद्र प्रारंभ करने के लिए दिनांक 28.07.2018 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे जांच और सलाह के लिए यूजीसी को अग्रेषित कर दिया गया था।

6. और जबकि, अध्यक्ष, यूजीसी ने आवेदन की जांच के लिए एक समिति गठित की थी, जिसने, विधिवत विचार-विमर्श के बाद यह सिफारिश की कि सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय (समविश्वविद्यालय), पुणे, एनएएसी प्रत्यायन की शैक्षिक विश्वसनीयता, यूजीसी ग्रेडिड स्वायत्ता में वर्ग-I, पिछली यूजीसी विशेषज्ञ समिति के दौरे, न्यायिक मामले को वापस लेने के लिए संस्थान द्वारा दिए गए आश्वासन को देखते हुए और इस तथ्य के दृष्टिगत की संस्थान ने आवश्यक अवसंरचना का निर्माण किया है और हैदराबाद, तेलंगाना में संकाय नियुक्त किए हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले से अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार हैदराबाद में ऑफ कैम्पस के अनुमोदन पर विचार कर सकता है।

7. और जबकि, यूजीसी ने सिफारिश की है कि, विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए, पहले ही उत्तीर्ण विद्यार्थियों और कैम्पस में वर्तमान नामांकित विद्यार्थियों को मान्यता दी जाए।

8. अब, इसलिए,यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, यूजीसी की सलाह पर,एतदद्वारा इस अधिसूचना केजारी होने की तारीख से हैदराबाद, तेलंगाना में ऑफ कैम्पस केन्द्र प्रारंभ करने के लिए सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय (समविश्वविद्यालय), पुणे, महाराष्ट्र को अनुमति प्रदान करती है और पहले ही उत्तीर्ण विद्यार्थियों और कैम्पस में वर्तमान में नामांकित विद्यार्थियों की डिग्री को विधिवत रूप से वैध मानती है। इसके अतिरिक्त यह घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है :

i. यूजीसी द्वारा यूजीसी (समविश्वविद्यालय) विनियम, 2016 में निर्धारित किया गया है, पहले 6 वर्षों तक 2 वर्ष में एक बार और तत्पश्चात 5 वर्षों के बाद हैदराबाद कैम्पस की समीक्षा की जाएगी।

ii. मंत्रालय की पहले की अधिसूचनाओं में निर्धारित सभी शर्तें लागू रहेंगी और संस्थान द्वारा इनका अनुपालन किया जाएगा।

iii. हैदराबाद, तेलंगाना के ऑफ कैम्पस की सभी चल और अचल परिसंपत्तियों/संपत्तियों के साथ-साथ प्रबंधन कानूनी रूप से सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र में निहित होगा और उच्चतर शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों के भविष्य के हित में पंजीकृत होगा।

iv. यूजीसी की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय/या इसके ऑफ कैम्पस केन्द्र की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्वों का विचलन नहीं किया जाएगा।

v. हैदराबाद, तेलंगाना के ऑफ कैम्पस केन्द्र के साथ-साथ सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र व्यावसायिक और लाभ कमाने की प्रकृति के किसी भी कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा।

vi. हैदराबाद, तेलंगाना के ऑफ कैम्पस केन्द्र में प्रदान किए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।

vii. हैदराबाद, तेलंगाना का ऑफ कैम्पस केन्द्र, विषय पर, समय-समय पर यूजीसी द्वारा जारी मानकों के अनुसार ही नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगा।

viii. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र अपने ऑफ कैम्पस केन्द्रों के साथ-साथ सभी संघटक इकाइयों में डॉक्टरल और नवाचारी शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ-साथ अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए उचित कदम उठाएगा।

ix. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एनएएसी/एनबीए द्वारा इसके ऑफ कैम्पस केन्द्र के लिए इसके सभी पात्र शैक्षिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के वैध प्रत्यायन के लिए इन्हें प्रत्यायित कराने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

x. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र और इसके ऑफ-कैम्पस केन्द्र विद्यार्थियों के दाखिले, विद्यार्थियों की दाखिला क्षमता, शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन का अद्यतन, विद्यार्थियों की दाखिला क्षमता का संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को प्रारंभ करना, आदि के मामले में यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक परिषदों के निर्धारित सभी मानकों और प्रक्रियाओं को निरंतर रूप से लागू करेगा और इसका अनुपालन करेगा।

xi. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र, जब कभी आवश्यक हो, यूजीसी के अनुमोदन से समझौता ज्ञापन/नियमों को अद्यतन या संशोधित करेगा।

xii. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र के समझौता ज्ञापन/नियम, विनियम, उपनियम में केन्द्र सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सभी संघटक केन्द्रों और ऑफ-कैम्पस केन्द्रों के नामों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

xiii. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्र समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के अनुसार यूजीसी के निर्देशों का पालन करेगा।

xiv. सिंबायोसिस अंतर्राष्ट्रीय, पुणे, महाराष्ट्रऔर इसके ऑफ-कैम्पस केन्द्र यूजीसी के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क ढ़ांचे का अनुपालन करेगा।

गिरीश सी. होसूर
संयुक्त सचिव

सं.एफ.10-7/2012-यू.3(ए).--जबकि केन्द्रसरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम,1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को समवत विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि,** यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 18.06.1964 की अधिसूचना सं.12-23/63-यू.2 के जरिए बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान (बिट्स), पिलानी, राजस्थान को समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया था।

3. **और जबकि,** बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी वर्ष 2012 में हैदराबाद में एक ऑफ कैम्पस केन्द्र शुरू करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

4. **और जबकि,** यूजीसी [ग्रेडिड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण] विनियम, 2018 की अधिसूचना के बाद,बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी, जिसे श्रेणी-।। में रखा गया है, ने उनके विनियमों के अनुसार, 28 जुलाई, 2018 को संशोधित आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे जांच और परामर्श हेतु यूजीसी को अग्रेषित कर दिया गया था।

5. **और जबकि,**अध्यक्ष, यूजीसी ने आवेदन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था जिसने आवश्यक विचार-विमर्श के बाद सिफारिश की कि बिट्स, पिलानी के शैक्षिक स्तर, एनएएसी प्रत्यायन, एनआईआरएफ रैंकिंग, संस्थान द्वारा कोर्ट केस वापस लेने के लिए दिए गए आवश्वासन के मद्देनजर और इस तथ्य के मद्देनजर कि संस्थान ने पहले ही आवश्यक अवसंरचना बना ली है और हैदराबाद में संकाय की नियुक्ति की है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले से अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार हैदराबाद में ऑफ कैम्पस के अनुमोदन पर विचार कर सकता है।

6. **अब जबकि,** यूजीसी ने आगे सिफारिश की है कि छात्रों के भविष्य के मद्देनजर पहले से उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री और वर्तमान में कैम्पस में पंजीकृत छात्रों को मान्यता दी जाए।

7. अत: अब यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार यूजीसी के परामर्श पर एतदद्वाराबिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान (समविश्वविद्यालय), पिलानी, राजस्थान को इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से हैदराबाद (तेलंगाना) में एक ऑफ कैम्पस केन्द्र शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान करती है और पहले से उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री और इस कैम्पस में वर्तमान में पंजीकृत छात्रों को मान्यता प्रदान करती है।

गिरीश सी. होसूर
संयुक्त सचिव

सं.एफ.10-6/2012-यू.3(ए).--जबकि, केन्द्रसरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम,1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को समवत विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि,** यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 18.06.1964 की अधिसूचना सं.12-23/63-यू.2 के जरिए बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान (बिट्स), पिलानी, राजस्थान को समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया था।

3. **और जबकि,** बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी वर्ष 2012 में गोवा में एक ऑफ कैम्पस केन्द्र शुरू करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

4. **और जबकि,** यूजीसी (ग्रेडिड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 की अधिसूचना के बाद,बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी, जिसे श्रेणी-।। में रखा गया है, ने उनके विनियमों के अनुसार, 28 जुलाई, 2018 को संशोधित आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे जांच और परामर्श हेतु यूजीसी को अग्रेषित कर दिया गया था।

5. **और जबकि,**अध्यक्ष, यूजीसी ने आवेदन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था जिसने आवश्यक विचार-विमर्श के बाद सिफारिश की कि बिट्स, पिलानी के शैक्षिक स्तर, एनएएसी प्रत्यायन, एनआईआरएफ रैंकिंग, संस्थान द्वारा कोर्ट केस वापस लेने के लिए दिए गए आवश्वासन के मद्देनजर और इस तथ्य के मद्देनजर कि संस्थान ने पहले ही आवश्यक अवसंरचना बना ली है और गोवा में संकाय की नियुक्ति की है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले से अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार गोवा में ऑफ कैम्पस के अनुमोदन पर विचार कर सकता है।

6. **अब जबकि,** यूजीसी ने आगे सिफारिश की है कि छात्रों के भविष्य के मद्देनजर पहले से उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री और वर्तमान में कैम्पस में पंजीकृत छात्रों को मान्यता दी जाए।

7. अत: अब यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार यूजीसी के परामर्श पर एतदद्वाराबिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान (समविश्वविद्यालय), पिलानी, राजस्थान को इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से गोवा में एक ऑफ कैम्पस केन्द्र शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान करती है और पहले से उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री और इस कैम्पस में वर्तमान में पंजीकृत छात्रों को मान्यता प्रदान करती है।

गिरीश सी. होसूर
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

(ICR DIVISION)

New Delhi, the 17th August, 2018

No.F.10/7/2018-U3(A).—**Whereas,** the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university.

2. **And whereas,** in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-12/2001-U.3 dated 06.05.2002, on the advice of UGC, had declared Symbiosis International Education Centre, Pune as an Institution Deemed to be University, consisting of the following three institutions:

i. Symbiosis Society's Law College

ii. Symbiosis Institute of Business Management

iii. Symbiosis Institute of Computer Studies & Research

3. **And further whereas**, the Ministry vide its notification No.F.9-12/2006-U.3(A) dated 10.11.2006 permitted Symbiosis International Educational Centre, Pune for inclusion of the following Institutions under its ambit:

i. Symbiosis Centre for Management and Human Resource Development;

ii. Symbiosis Institute of International Business;

iii. Symbiosis Institute of Telecom Management;

iv. Symbiosis Institute of Management Studies;

v. Symbiosis Institute of Mass Communication;

vi. Symbiosis Institute of Operations Management;

vii. Symbiosis Centre for Information Technology;

viii. Symbiosis Institute of Geo-Informatics;

ix. Symbiosis Institute of Health Sciences, and

x. Symbiosis Institute of Design

4. **And whereas**, the Ministry, vide Notification F.No.10-6/2007-U.3A dated 17.04.2008, granted permission to the Deemed to be University to start an Off-Campus Centre at Bengaluru. The name of Symbiosis International Education Centre has also been changed to Symbiosis International University and subsequently changed to Symbiosis International.

5. **And whereas**, after Notification of the UGC (Categorization of Universities (only) for Grant of Graded Autonomy Regulations, 2018, Symbiosis International (Deemed to be University), Pune, Maharashtra, which is placed in Category-I, has submitted its application on 28.07.2018 for starting of an Off-Campus Centre at Noida, Uttar Pradesh, which was forwarded to UGC for examination and advice.

6. **And whereas**, the Chairman, UGC constituted a Committee for examining the application, which has, after due deliberations, recommended that keeping in view the academic credentials of Symbiosis International (Deemed to be University), Pune, NAAC accreditation, Category I in the UGC Graded Autonomy, visit by earlier UGC Expert Committee, assurance by the Institution to withdraw the court case and in view of the fact that the Institution has created necessary infrastructure and appointed faculty at Noida (UP), the Ministry of HRD may consider approval of the off-campus at Noida in accordance with the procedure already approved.

7. **And whereas**, The UGC further recommended that keeping in view the future of the students, the students already passed out and presently enrolled in the campus may be treated as valid.

8. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby permit Symbiosis International (Deemed to be University), Pune, Maharashtra to start an Off-Campus Centre at Noida, Uttar Pradesh with effect from the issuance of this Notification and

duly treat the degrees of the students already passed out and presently enrolled in the Campus valid. This declaration is further subject to the following conditions:

i. The Noida Campus shall be reviewed by UGC biennially for six years and subsequently after five years as prescribed under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

ii. All conditions that were stipulated in the Ministry's earlier Notifications shall continue to be in force and shall be complied with by the Institution.

iii. The management as well as all the moveable and immovable assets/properties of the Off-Campus at Noida, Uttar Pradesh shall legally vest with Symbiosis International, Pune, Maharashtra and registered as such in the interest of future of students, members of faculty, employees and for maintaining the standards of higher education.

iv. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed-to-be-University/or of its Off-Campus Centre(s), without prior permission of the UGC.

v. Symbiosis International, Pune, Maharashtra as well as its Off-Campus Centre at Noida, Uttar Pradesh shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

vi. The academic programmes to be offered at the Off-Campus Centre at Noida, Uttar Pradesh shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and other Statutory Councils concerned.

vii. The Off-Campus Centre at Noida, Uttar Pradesh shall start new academic courses only in accordance with the norms and guidelines issued by the UGC, from time to time, on the subject.

viii. Symbiosis International, Pune, Maharashtra shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes at all its constituent units as well as its Off-Campus Centre(s).

ix. Symbiosis International, Pune, Maharashtra shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes of its Off-Campus Centre accredited for valid accreditation by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC)/ National Board of Accreditation (NBA), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

x. All the prescribed norms and procedures of the UGC and other Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Symbiosis International, Pune, Maharashtra and its Off-Campus Centre(s).

xi. As and when necessary, Symbiosis International, Pune, Maharashtra shall update or revise or modify its Memorandum of Association (MoA) / Rules with the approval of the UGC.

xii. The MoA/Rules, Regulations, Bye-laws of Symbiosis International, Pune, Maharashtra shall clearly specify/reflect the names of all its constituent units and Off-Campus Centre(s), as are approved by the Central Government.

xiii. Symbiosis International, Pune, Maharashtra shall adhere to the instructions of the UGC as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

xiv. Symbiosis International, Pune, Maharashtra and its Off-Campus Centre shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC.

GIRISH C. HOSUR
Jt. Secy.

New Delhi, the 20th August, 2018

No.F.10/8/2018-U3(A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university.

2. **And whereas,** in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-12/2001-U.3 dated 06.05.2002, on the advice of UGC, had declared Symbiosis International Education Centre, Pune as an Institution Deemed to be University, consisting of the following three institutions:

i. Symbiosis Society's Law College

ii. Symbiosis Institute of Business Management

iii. Symbiosis Institute of Computer Studies & Research

3. **And further whereas**, the Ministry vide its notification No.F.9-12/2006-U.3(A) dated 10.11.2006 permitted Symbiosis International Educational Centre, Pune for inclusion of the following Institutions under its ambit:

i. Symbiosis Centre for Management and Human Resource Development;
ii. Symbiosis Institute of International Business;
iii. Symbiosis Institute of Telecom Management;
iv. Symbiosis Institute of Management Studies;
v. Symbiosis Institute of Mass Communication;
vi. Symbiosis Institute of Operations Management;
vii. Symbiosis Centre for Information Technology;
viii. Symbiosis Institute of Geo-Informatics;
ix. Symbiosis Institute of Health Sciences, and
x. Symbiosis Institute of Design

4. **And whereas**, the Ministry, vide Notification F.No.10-6/2007-U.3A dated 17.04.2008, granted permission to the Deemed to be University to start an Off-Campus Centre at Bengaluru. The name of Symbiosis International Education Centre has also been changed to Symbiosis International University and subsequently changed to Symbiosis International.

5. **And whereas**, after Notification of the UGC (Categorization of Universities (only) for Grant of Graded Autonomy Regulations, 2018, Symbiosis International (Deemed to be University), Pune, Maharashtra, which is placed in Category-I, has submitted its application on 28.07.2018 for starting of an Off-Campus Centre at Hyderabad, Telangana, which was forwarded to UGC for examination and advice.

6. **And whereas**, the Chairman, UGC constituted a Committee for examining the application, which has, after due deliberations, recommended that keeping in view the academic credentials of Symbiosis International (Deemed to be University), Pune, NAAC accreditation, Category I in the UGC Graded Autonomy, visit by earlier UGC Expert Committee, assurance by the Institution to withdraw the court case and in view of the fact that the Institution has created necessary infrastructure and appointed faculty at Hyderabad (Telangana), the Ministry of HRD may consider approval of the off-campus at Hyderabad in accordance with the procedure already approved.

7. **And whereas**, The UGC further recommended that keeping in view the future of the students, the students already passed out and presently enrolled in the campus may be treated as valid.

8. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby permit Symbiosis International (Deemed to be University) to start an Off-Campus Centre at Hyderabad, Telangana, with effect from the issuance of this Notification and duly treat the degrees of the students already passed out and presently enrolled in the Campus valid. This declaration is further subject to the following conditions:

i. The Hyderabad Campus shall be reviewed by UGC biennially for six years and subsequently after five years as prescribed under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

ii. All conditions that were stipulated in the Ministry's earlier Notifications shall continue to be in force and shall be complied with by the Institution.

iii. The management as well as all the moveable and immovable assets/properties of the Off-Campus at Hyderabad, Telangana shall legally vest with Symbiosis International, Pune, Maharashtra and registered as

such in the interest of future of students, members of faculty, employees and for maintaining the standards of higher education.

iv. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed-to-be-University/or of its Off-Campus Centre(s), without prior permission of the UGC.

v. Symbiosis International, Pune, Maharashtra as well as its Off-Campus Centre at Hyderabad, Telangana shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

vi. The academic programmes to be offered at the Off-Campus Centre at Hyderabad, Telangana shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and other Statutory Councils concerned.

vii. The Off-Campus Centre at Hyderabad, Telanganashall start new academic courses only in accordance with the norms and guidelines issued by the UGC, from time to time, on the subject.

viii. Symbiosis International, Pune, Maharashtra shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes at all its constituent units as well as its Off-Campus Centre(s).

ix. Symbiosis International, Pune, Maharashtra shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes of its Off-Campus Centre accredited for valid accreditation by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC)/ National Board of Accreditation (NBA), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

x. All the prescribed norms and procedures of the UGC and other Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Symbiosis International, Pune, Maharashtra and its Off-Campus Centre(s).

xi. As and when necessary, Symbiosis International, Pune, Maharashtra shall update or revise or modify its Memorandum of Association (MoA) / Rules with the approval of the UGC.

xii. The MoA/Rules, Regulations, Bye-laws of Symbiosis International, Pune, Maharashtra shall clearly specify/reflect the names of all its constituent units and Off-Campus Centre(s), as are approved by the Central Government.

xiii. Symbiosis International, Pune, Maharashtra shall adhere to the instructions of the UGC as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

xiv. Symbiosis International, Pune, Maharashtra and its Off-Campus Centre shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC.

GIRISH C. HOSUR
Jt. Secy.

No.F.10-7/2012-U3(A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university.

2. **And whereas,** in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.12-23/63-U.2 dated 18.06.1964, on the advice of UGC, had declared Birla Institute of Technology & Science (BITS), Pilani, Rajasthan as an Institution Deemed to be University.

3. **And whereas**, Birla Institute of Technology & Science, Pilani had submitted its application for starting of an Off-Campus Centre at Hyderabad in the year 2012.

4. **And whereas**, after Notification of the UGC (Categorization of Universities (only) for Grant of Graded Autonomy) Regulations, 2018, Birla Institute of Technology & Science, Pilani, which is placed in Category-II, has submitted revised application on 28th July, 2018 as per these Regulations, which was forwarded to UGC for examination and advice.

5. **And whereas**, the Chairman, UGC constituted a Committee for examining the application, which has, after due deliberations, recommended that keeping in view the academic credentials of BITS, Pilani, NAAC accreditation, NIRF ranking, assurance given by the Institution to withdraw the Court case and in view of the fact that the Institution has created necessary infrastructure and appointed faculty at Hyderabad, the Ministry of HRD may consider approval of the off-campus at Hyderabad in accordance with the procedure already approved.

6. **And whereas**, UGC further recommended that keeping in view the future of the students, the degrees of the students already passed out and presently enrolled in the campus may be treated as valid.

7. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby permit Birla Institute of Technology & Science (Deemed to be University), Pilani, Rajasthan to start an Off-Campus Centre at Hyderabad (Telangana), with effect from the issuance of this Notification and duly treat the degrees of the students already passed out and presently enrolled in this campus valid.

GIRISH C. HOSUR

Jt. Secy.

No.F.10-6/2012-U3(A).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university.

2. **And whereas,** in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.12-23/63-U.2 dated 18.06.1964, on the advice of UGC, had declared Birla Institute of Technology & Science (BITS), Pilani, Rajasthan as an Institution Deemed to be University.

3. **And whereas**, Birla Institute of Technology & Science, Pilani had submitted its application for starting of an Off-Campus Centre at Goa in the year 2012.

4. **And whereas**, after Notification of the UGC (Categorization of Universities (only) for Grant of Graded Autonomy) Regulations, 2018, Birla Institute of Technology & Science, Pilani, which is placed in Category-II, has submitted revised application on 28th July, 2018 as per these Regulations, which was forwarded to UGC for examination and advice.

5. **And whereas**, the Chairman, UGC constituted a Committee for examining the application, which has, after due deliberations, recommended that keeping in view the academic credentials of BITS, Pilani, NAAC accreditation, NIRF ranking, assurance given by the Institution to withdraw the Court case and in view of the fact that the Institution has created necessary infrastructure and appointed faculty at Goa, the Ministry of HRD may consider approval of the off-campus at Goa in accordance with the procedure already approved.

6. **And whereas**, UGC further recommended that keeping in view the future of the students, the degrees of the students already passed out and presently enrolled in the campus may be treated as valid.

7. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby permit Birla Institute of Technology & Science (Deemed to be University), Pilani, Rajasthan to start an Off-Campus Centre at Goa, with effect from the issuance of this Notification and duly treat the degrees of the students already passed out and presently enrolled in this campus valid.

GIRISH C. HOSUR
Jt. Secy.

Uploaded by Dte.of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.21 22:42:36 +05'30'